

कार्यालय कलेक्टर जिला-नीमच (म0प्र0)

क्रमांक 18 / स्टेशनरी. / 17

नीमच, दिनांक 06 / 2017

फोटोकॉपी के कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना

--00--

जिला कार्यालय को वर्ष 2017-18 के लिये फोटो कॉपी की दरे सीलबंद लिफाफे में दिनांक 28.06.2017 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालयीन समय में निम्न शर्तों पर आमंत्रित कि जाती है। प्राप्त दरो के बंद लिफाफे दिनांक उसी दिनांक को सायं 4.30 बजे समिति एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष खोली जावेगी।

:::कोटेशन की शर्तें:::

- 1-कोटेशन के साथ रूपये 5,000/- की धरोहर राशि एफ.डी. के रूप में कलेक्टर जिला नीमच के नाम प्लेज कराकर इस कार्यालय में जमा कराना हेगी।
 - 2-फोटो कॉपी हेतु पृथक से रसीद कट्टे स्वयं फोटो कॉपी स्वीकृत दुकानदार को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा, जिसमें रसीदें प्रतिदिन काटी जाकर फोटो कॉपी कराई जावेगी। उसी आधार पर मासिक बिल प्राप्त किये जावेगे।
 - 3-विद्युत प्रदाय बंद रहने की अवधि में भी तत्समय ही जनरेटर की व्यवस्था द्वारा फोटो कॉपी उपलब्ध कराना होगी, इसके लिये अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर ब्लेक लिस्टेड किया जाकर न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।
 - 4-अवकाश के दिन में दुकान खोली जावेगी। आवश्यकता होने पर कार्यालयीन समय के पूर्व एवं पश्चात में फोटोकॉपी करना होगी। इस हेतु समस्त फर्में निवास का दूरभाष/मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना होगा।
 - 5-फोटोकॉपीर कलेक्टोरेट परिसर में स्थापित करना होगी। इस हेतु कार्यालय से कोई मदद नहीं की जावेगी।
 - 6-फोटो कॉपी की प्रिंट अच्छा होना चाहिए। खराब/अपठनिय फोटो कॉपी अमान्य की जावेगी।
 - 7-कोटेशन की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
- संलग्न:- फोटोकॉपी सूची भाव पत्र

पृ0क्रमांक 18 / स्टेशनरी. / 17
प्रतिलिपि:-

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला-नीमच की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर, कलेक्टोरेट नीमच/तहसीलदार नीमच/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीमच की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अधीक्षक, कलेक्टोरेट जिला नीमच की ओर कोटेशन प्राप्ति हेतु।

प्रभारी अधिकारी

वास्ते- कलेक्टर जिला-नीमच
नीमच, दिनांक 06 / 2017

प्रभारी अधिकारी

वास्ते- कलेक्टर जिला-नीमच